



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-31122022-241556
CG-RJ-E-31122022-241556

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5927]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 30, 2022/पौष 9, 1944

No. 5927]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 30, 2022/PAUSHA 9, 1944

रेल मंत्रालय

[उत्तर पश्चिम रेलवे (निर्माण)]

शुद्धि-पत्र

(जयपुर, 29 दिसम्बर, 2022)

का.आ. 6170(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम 1989 (1989 का 24) की धारा 20(क) के उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार रेल मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 5643 दिनांक 15.12.2022 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखण्ड (ii) दिनांक 15.12.2022 में प्रकाशित अर्थात्, उक्त अधिसूचना के हिन्दी संस्करण में प्रकाशित पैरा -1 के समक्ष लाइन 3 में “नागौर” के स्थान पर “चित्तौड़गढ़” को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

[फा. सं. उपरे.मुख्या.स.&नि. /443599200 भाग-II]

बी.एस.मीना, मुख्य इंजी./नि./V

कृते मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/ निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS
[North Western Railway(Const.)]

CORRIGENDUM

Jaipur, the 29th December, 2022

S.O. 6170(E).—In exercise of powers conferred by sub section (I) of Section 20A of Railway Act, 1989 (24 of 1989), notification of Railway Ministry, Under Govt. of India No.5643 dated 15.12.2022, THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY PART-II, SECTION 3 SUB SECTION (II) Published on dated 15.12.2022, In the English version of above notification Part-1, line -4 should be written as “**Chittaurgarh**” instead of “Chittaurdgarh”.

[F. No. NWR/HQ/S&C/443599200 Vol-II]

B. S. MEENA, Chief Engineer/Const./V

For Chief Administrative Officer (Const.)